


18.09.23

पत्रावली वैश डई। वकील वादी या वादी  
स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर  
भी वादी वकील या वादी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ।  
अतः वादी का वादपत्र अदम पैरवी- अदम हाजिरी  
में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली  
नम्बर से कम होकर बाढ़ तरीक तकमील शामिल  
दफ्तर है।

निर्णय लिखाया जाकर बुले न्यायालय में  
सुनाया गया।

  
( अमिता बिशनोई )  
R.A.S.